रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 91] नई दिल्ली, सोमवार, जून 9, 2003/ज्येष्ठ 19, 1925
No. 91] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 9, 2003/JYAISTHA 19, 1925

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 5 जून, 2003

सं. टीएएमपी/16/2003-वीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा, विशाखापत्तनम् पत्तन में विशाखा कन्टेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (वीसीटीपीएल) के कन्टेनर टर्मिनल में प्रभार लगाने हेतु एक अन्तरिम व्यवस्था के लिए उसकी याचिका को इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार निपटाता है।

अनुसूची

प्रकरण सं. टीएएमपी /16/2003-वीपीटी

दि विशाखा कन्टेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड ----- आवेदक

आदेश

(जून 2003 के 5 वें दिन पारित)

विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास (वीपीटी) ने विशाखापत्तनम् पत्तन में, बीओटी आधार पर तीस वर्ष के लिए, उसके बाहरी बंदर में कन्टेनर टर्मिनल के रूप में एक बहुउद्देशीय लंगरगाह के विकास के लिए 11 सितम्बर 2002 को वीसीटीपीएल (यूनाइटेड लाइन एजेन्सीज (यूएलए) ऑफ इंडिया और दुबई पोर्ट अॅथारिटी (डीपीए) ऑफ दुबई की संयुक्त उद्यम कम्पनी के साथ एक कन्सेशन और लाइसेंस एग्रीमैंट पर हस्ताक्षर किए थे। वीसीटीपीएल ने प्रस्तावित प्रशुल्क पर अनुमोदन मांगा है जिस पर एक अलग प्रकरण के रूप में कार्रवाई की जा रही है।

2.1. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, वीसीटीपीएल का प्रस्ताव वीपीटी और संबंधित उपयोगकर्त्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित कर दिया गया था। विभिन्न उपयोगकर्त्ताओं से प्राप्त उनकी टिप्पणियाँ वीसीटीपीएल को उसकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित कर दी गई।

2.2. इस प्रकरण में वीपीटी परिसर में 8 मई 2003 को एक संयुक्त सुनवाई हुई थी ।

3.1. उपयोगकर्त्ताओं ने प्रस्तावित दरों की वर्तमान वीपीटी दरों और सीसीटीएल दरों से व्यापक तुलना की है ।

3.2. प्रस्ताव की प्राथमिक जांच-पड़ताल में उभरे विभिन्न मुद्दे वीसीटीपीएल के सामने प्रस्तुत किए गए । उनमें निवेश की तर्क संगतता और औचित्य, कन्सेशन लाइसैंस एग्रीमैंट से विचलन के कारण, कुछ लागत मदों की तर्क संगतता आदि सम्मिलित थे ।

4.1. इस पृष्ठभूमि में वीसीटीपीएल ने बताया कि जैसाकि प्रचालन 11 जून 2003 से आरम्भ करने की योजना थी और उपलब्ध समय में विभिन्न उपयोगकर्त्ता समूहों की आवश्यकताओं का समाधान करना सम्भव नहीं है, वह अन्तरिम दरों को सीसीटीएल प्रशुल्क से 10% कम मानक स्तर तक निर्धारित करने के लिए उपयोगकर्त्ताओं के अनुरोध को मान जाएगा ।

4.2. तदनुसार, वीसीटीपीएल ने तीन माह की अवधि के लिए अन्तरिम दरों को निर्धारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है । प्रस्तावित अन्तरिम दरें, कुछ प्रशुल्क मदों के अपवाद को छोड़कर, सीसीटीएल की दरों से या इसकी पिछली प्रस्तावित दरों से, इनमें से जो भी कम हो, 10% कम हैं । सामान्य प्रस्ताव में सम्मिलित कुछ अपवाद निम्नानुसार हैं :

(i) अपने पिछले दर-मान मसौदे में में रेल यार्ड से / को आईसीडी कन्टेनर के यातायात के लिए और उठाने / रखने के प्रस्तावित प्रभार रु. 1200/- प्रति 20 कन्टेनर प्रस्तावित किया गया था । उसने इस प्रचालन के लिए अब रु. 1800/- की दर प्रस्तावित की है और बताया है कि वित्तीय प्रक्षेपों में पिछली प्रस्तावित दर टाइपिंग संबंधी त्रुटि थी, तथापि रु. 1800/- पर ही विचार किया गया है । उसने अपने दावे को यह उल्लेख करते हुए प्रमाणित किया है कि इसकी 20 कन्टेनरों के लिए प्रस्तावित दर रु. 1800/- के समक्ष सीसीटीएल में आईसीडी कन्टेनरों के लिए प्रभार, कान्कोर द्वारा लगाए गए प्रभार को सम्मिलित करके रु. 2900/- (अर्थात रु. 1050/- जैसा सीसीटीएल दर-मान में निर्धारित किया गया है + रु. 1100/-कन्टेनर को प्रहस्तन करने के लिए कान्कोर द्वारा लगाया गया + रु. 750/- होते हैं)।

(ii) सीसीटीएल में दौरा पूर्व निरीक्षण (पीटीआई) सेवाएं, केस शिप्स गियर में छूट का उपयोग किया जाता है और डायरैक्ट लोडिंग और लिलो, रिशफलिंग आदि अतिरिक्त सेवाएं प्रदान नहीं की जाती हैं । ये इसके द्वारा व्यापार को प्रदत्त वैकल्पिक सेवाएं हैं और इसीलिए इन मदों के लिए इसके द्वारा प्रस्तावित दरों पर विचार किया जाए ।

(iii) कचरा हटाने और ताजे पानी की आपूर्ति के प्रभार वही प्रस्तावित किए गए हैं जो वीपीटी के दर-मान में अनुमोदित किए गए हैं क्योंकि इन मदों के प्रशुल्क सीसीटीएल प्रशुल्क नियमावली में दिखाई नहीं देते ।

4.3. वीसीटीपीएल ने प्रस्तावित प्रशुल्क को अन्तरिम आधार पर तीन महिने के लिए अनुमोदित करने और अन्तिम प्रशुल्क को प्रस्तुत करने व अन्तिम रूप देने के लिए कम से कम तीन माह का समय देने का अनुरोध किया है ।

5.1. वीसीटीपीएल की योजना 11 जून 2003 से प्रचालन आरम्भ करने की है और दरों के निर्धारण के लिए उसे अपने प्रस्ताव को अभी भी पक्का करना है । जैसाकि यह प्रकरण लागत आधारित प्रशुल्क के निर्धारण के लिए अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है, वीसीटीपीएल ने बाज़ार की शक्तियों के आधार पर एक अन्तरिम अवधि के लिए दरें निर्धारित करने के लिए प्रस्ताव किया है । उसने इस उद्देश्य के लिए प्रस्तावित दरों को सीसीटीएल के प्रशुल्क से 10% कम पर मानकीकृत किया है । वीसीटीपीएल द्वारा प्रस्तावित दरें ऊपर वर्णित कुछ मदों के अपवाद को छोड़कर सीसीटीएल प्रशुल्क या उसकी पहले प्रस्तावित दरों से, इनमें से जो भी कम हो, 10% कम प्रस्तावित की गई हैं ।

5.2. यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि तत्कालीन जेएनपीटी दरें और तत्कालीन सीएचपीटी दरें क्रमश: एनएसआईसीटी और सीसीटीएल द्वारा तब अपनाने की अनुमति दे दी गई थी जब उन्होंने अपना प्रचालन आरम्भ कर दिया था । सीसीटीएल के प्रकरण में, इसकी अनुमति एक अन्तरिम उपाय के रूप में दी गई थी । जैसाकि वर्तमान वीपीटी प्रचालनों की वीसीटीपीएल के प्रस्तावित प्रचालनों से कोई तुलना नहीं है इसलिए यह उपयुक्त नहीं होगा कि आरम्भिक अवधि में वीसीटीपीएल से वीपीटी की वर्तमान दरें अपनाने की अपेक्षा की जाए । जैसा कि सीसीटीएल पड़ोसी टर्मिनल है और यातायात की दृष्टि से वीसीटीपीएल की सीसीटीएल से स्पर्धा करने की अपेक्षा की जाती है, अन्तरिम प्रशुल्क के लिए मानक हेतु सीसीटीएल प्रशुल्क का संदर्भ लेने वाला वीसीटीपीएल द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव तार्किक लगता है । यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि जब पीएसएएसआईसीएल ने अपना प्रचालन आरम्भ किया, जो उससे पहले टीपीटी द्वारा किए जा रहे परम्परागत प्रहस्तन से पूरी तरह भिन्न था, उसके आरम्भिक प्रशुल्क को सीएचपीटी के जो उसका पड़ोसी टर्मिनल था, तत्कालीन प्रशुल्क के समक्ष मानक प्रदान किया गया था ।

5.3. अन्तरिम दरें निर्धारित करने के लिए अपनाए गए समग्र दृष्टिकोण पर सामान्य रूप से, अधिकतर उपयोगकर्त्ता और वीपीटी, सहमत हैं। यह प्राधिकरण, इसीलिए वीसीटीपीएल के अन्तरिम प्रस्ताव को अन्य टर्मिनलों और महापत्तनों के लिए पहले से अनुमोदित सूत्रों के अनुरूप किए गए छोटे-छोटे संशोधनों के साथ अनुमोदित करने का इच्छुक है।

6.1. परिणामस्वरूप, और ऊपर दिए गए कारणों की वजह से तथा समग्र विचार विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण विशाखा कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड में कन्टेनरों के प्रहस्तन के लिए अन्तरिम दर-मान को, जो अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है, अनुमोदन प्रदान करता है। यह अन्तरिम दर-मान तुरंत लागू हो जाएगा और 15 सितम्बर 2003 या अंतिम दरों के निर्धारण में से जो भी पहले हो, तक वैध होगा।

6.2. वीसीटीपीएल को निदेश दिया जाता है कि वह, अन्तिम दरों के निर्धारण के लिए वैकल्पिक प्रस्ताव, यदि कोई हो, आवश्यक विवरणों के साथ 15 जुलाई 2003 तक प्रस्तुत कर दें।

[सं. विज्ञापन/III/IV/143/03-असाधारण]

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

अनुलग्नक -I

अन्तरिम
दर-मान

परिभाषाएं और शर्तें

यह दर-मान विशाखा कन्टेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (वीसीटीपीएल) द्वारा प्रदत्त सेवाओं और सुविधाओं का उपयोग करने के लिए समय-समय पर विशाखा कन्टेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (वीसीटीपीएल) को देय प्रभारों को सुनिश्चित करता है :-

1. परिभाषाएं

(i) ***"कन्टेनर"*** से अभिप्राय कोई भी मालवाही कन्टेनर है जो सभी आनुषंगिक प्रचलित आईएसओ मानकों का अनुपालन करता हो। सामान्य रूप से इसकी अभिकल्पना मार्ग-मध्य में पुन: लदान के बिना एक या एकाधिक विधियों से सामान लाने-ले जाने की सुविधा के रूप में की गई है और जिसमें तुरंत प्रहस्तन हेतु उपकरण लगे हों और जिसमें अद्भुत पहचान अंक और चिह्न हों।

(ii) ***"प्रतिदिन"*** से अभिप्राय कैलेन्डर का प्रत्येक दिन है।

(iii) ***"प्रति पाली"*** से अभिप्राय 8 घण्टों की प्रत्येक अवधि से है।

(iv) ***"पत्तन"*** से अभिप्राय विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास (वीपीटी) से है जहाँ "टर्मिनल" का अभिप्राय वह कन्टेनर टर्मिनल है जो अब और इसके बाद विशाखा कन्टेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रचालित किया जाएगा।

(v) **"वीसीटीपीएल"** का अभिप्राय विशाखा कन्टेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, भारत में निगमित एक कम्पनी, इसके उत्तराधिकारियों और प्रतिनिधियों से है।

(vi) ***"रीफर"*** से अभिप्राय माल की ढुलाई के लिए किसी भी ऐसे कन्टेनर से है जिसे रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता पड़ती है।

(vii) ***"पोतांतरण कंटेनर"*** का अभिप्राय ऐसे कन्टेनर से है जो एक जलयान से छूटा है और जिसे पोतान्तरण सूची में घोषित एक जलयान पर नौभरण के उद्देश्य से वीसीटीपीएल की अभिरक्षा में सौंपा गया हो और वीसीटीपीएल की अभिरक्षा में सौंपे जाने से पहले या सौंपे जाते समय उस कन्टेनर पर उसका अंतिम पत्तन अंकित हो।

(viii) ***"तटीय पोत"*** का अभिप्राय ऐसे किसी भी पोत से है जो भारत में किसी पत्तन या स्थान से भारत में ही किसी अन्य पत्तन या स्थान के बीच केवल व्यापार में लगा हुआ है और जिसके पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया हुआ वैध तटीय लाइसेंस है।

(ix) ***"विदेशी पोत"*** से अभिप्राय तटीय पोत के अतिरिक्त किसी भी पोत से है।

(x) ***"खतरनाक कन्टेनर"*** से अभिप्राय उस कन्टेनर से है जिसमें आईएमओ के अन्तर्गत वर्गीकृत खतरनाक सामान भरा हो ।

(xi) ***"सामान्य से बड़ा कन्टेनर"*** से अभिप्राय उस कन्टेनर से है जो मानक कन्टेनरों के सामान्य आकार से बड़े आकार का सामान ले जा रहा हो और जिसके लिए स्लिंग्स, शैकल्स, लिफ्टिंग बीम आदि विशेष उपकरणों की आवश्यकता पड़ती हो । क्षतिग्रस्त कन्टेनर्स और ऐसे कन्टेनर्स भी जिन्हें उठाने के लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता पड़ती हो, सामान्य से बड़े कन्टेनर (ओडीसी) वर्गीकृत किए किए जाते हैं ।

(xii) ***"एफसीएल"*** से अभिप्राय उन कन्टेनरों से है जिनमें उनकी क्षमता के अनुसार पूरा माल भरा हुआ हो ।

(xiii) ***"आईसीडी"*** से अभिप्राय अन्तर्देशीय कन्टेनर आगार है ।

(xiv) ***"एलसीएल"*** से अभिप्राय उस कन्टेनर से है जिसमें उसकी क्षमता से कम माल भरा हो (एक से अधिक आयातक / निर्यातक के माल वाला कंटेनर) ।

(xv) ***"शट आऊट कन्टेनर"*** से अभिप्राय उस कन्टेनर से है जो वीआईएएन के संकेतों के अनुसार किसी पोत के निर्यात के लिए टर्मिनल में प्रवेश कर गया है और जो किसी भी कारण से पोत से संबंधित नहीं है ।

(xvi) ***"टन"*** से अभिप्राय 1000 किलोग्राम या एक घन मीटर के एक मीट्रिक टन से है ।

(xvii) ***"वीआईएएन"*** से अभिप्राय पोत पहचान सूचना संख्या से है ।

2. सामान्य

(i) (क) भारतीय पताका वाला सामान्य व्यापार लाइसेंस युक्त विदेशगामी कोई पोत सीमाशुल्क परिवर्तन आदेश के आधार पर तटीय चालन में परिवर्तन हो सकता है ।

(ख) विदेशी पताका युक्त विदेश जाने वाला पोत नौवहन महानिदेशालय द्वारा जारी तटीय समुद्री यात्रा लाइसेंस के आधार पर तटीय चालन में परिवर्तित हो सकता है ।

(ग) ऐसे परिवर्तनों की स्थिति में, पोत के तटीय सामग्रियों का लदान प्रारम्भ करने के समय से लदान पत्तन द्वारा तटीय दरें प्रभार्य होंगी ।

(घ) ऐसे परिवर्तनों की स्थिति में तटीय दरें केवल पोत द्वारा तटीय कार्गो उतारने के कार्य को पूरा करने तक ही प्रभार्य होंगी, उसके तुरंत बाद उतराई वाले पत्तनों द्वारा विदेशगामी दरें ही प्रभार्य होंगी ।

(ड.) नौवहन महानिदेशालय से तटीय लाइसेंस प्राप्त समर्पित भारतीय तटीय पोतों से तटीय दरों का हकदार होने के लिए किसी अन्य दस्तावेज की अपेक्षा नहीं होगी ।

(ii) 20 फीट या उससे कम लम्बाई वाले कन्टेनर प्रशुल्क के उद्देश्य से एक टीईयू ही गिने जाएंगे ।

(iii) अमरीकी डालरों में मूल्यवर्गित कन्टेनर संबंधी प्रभार समतुल्य भारतीय रुपयों में एकत्रित किए जाएंगे । इस उद्देश्य के लिए पोत के टर्मिनल में प्रवेश करने की तिथि को (आयात कन्टेनरों के मामले में) और कन्टेनर्स के टर्मिनल परिसर में पहुंचने की तिथि को (निर्यात कन्टेनरों के मामले में) प्रचलित बाजार क्रय दर डालर मूल्यवर्गित प्रभारों के भारतीय रुपयों में पुन: परिवर्तन के लिए लागू होगी ।

(iv) यदि पोत पत्तन में तीस दिन से अधिक ठहरते हैं तो पोत के पहुँचने की तिथि से तीस दिन के भीतर एक बार विनिमय दरों की नियमित समीक्षा की जाएगी । ऐसे मामलों में, बिलिंग का आधार समीक्षा के समय प्रचलित समुचित विनिमय दरों के संदर्भ में प्रत्याशित रूप से बदल जाएगा ।

(v) प्रत्येक बिल के कुल योग पर सभी प्रभार अगले उच्च पूर्ण रुपये में लिखे जाएंगे ।

(vi) (क) उपयोगकर्त्ता इस दर-मान के अधीन किसी प्रभार के भुगतान में यदि विलम्ब करता है तो उसे उन पर दण्ड ब्याज देना होगा।

(ख) दण्ड ब्याज की दर 16% वार्षिक होगी । दण्ड ब्याज वीपीटी और पत्तन उपयोगकर्त्ताओं, दोनों पर समान रूप से लागू होंगी ।

(ग) प्रतिदायों में विलम्ब सेवाएं पूर्ण होने से या उपयोगकर्त्ता से अपेक्षित सभी दस्तावेजों की प्रस्तुति से, इनमें से जो भी बाद में हो, 20 दिन बाद से, गिना जाएगा ।

(घ) उपयोगकर्त्ता द्वारा भुगतानों में विलम्ब, वीसीटीपीएल द्वारा बिल जारी करने की तिथि से केवल दस दिन बाद गिना जाएगा । तथापि यह प्रावधान उन मामलों में लागू नहीं होगा जहाँ महापत्तन न्यास अधिनियम के अनुसार, भुगतान सेवाएं प्राप्त करने से पहले किया जाना है और या जहाँ प्रभारों का भुगतान इस दर-मान में अग्रिम रूप से निर्धारित किया गया है ।

(vii) जहाँ प्रभार, पोत के एजेन्ट या स्वामी द्वारा या कन्टेनर के स्वामी या एजेन्ट द्वारा, अग्रिम रूप से देय है, वहां यदि पोत की एजेन्सी या स्वामित्व में या कन्टेनर के स्वामित्व या एजेन्सी में कोई परिवर्तन हो तो उस परिवर्तन के विषय में, नए एजेन्ट या स्वामी के नाम-पते सहित, वीसीटीपीएल को अग्रिम रूप से सूचित करना होगा । इस पेराग्राफ के उद्देश्य से एजेन्सी में परिवर्तन उस तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि को अधिसूचना वीसीटीपीएल में प्राप्त की जाएगी या ऐसी बाद वाली तिथि से यदि विसीटीपीएल को अग्रिम रूप से अधिसूचित कर दिया गया था ।

(viii) कन्टेनरों के भण्डारण पर प्रभारों के मामले को छोड़कर, 20 फीट से बड़े और 40 फीट की लम्बाई तक के कन्टेनरों पर, कन्टेनरों के लिए सभी प्रभार, 20 फीट या उससे कम लम्बाई वाले कन्टेनरों पर लागू होने वाले प्रभारों का 150% होंगे । 40 फीट से अधिक लम्बे और 45 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनरों पर लगने वाले सभी प्रभार 20 फीट या उससे कम लम्बाई वाले कन्टेनरों पर लगने वाले प्रभार का 200% होंगे ।

(ix) खतरनाक कार्गो कन्टेनर्स / सामान्य से बड़े कार्गो कन्टेनर्स के मामले में कन्टेनरों की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित लागू प्रहस्तन प्रभारों के ऊपर 25% प्रीमियम लगाया जाएगा ।

(x) प्रशुल्क पुस्तक में दिए प्रभार लगने वाले सभी करों के अतिरिक्त हैं । सभी लगने वाले कर वास्तविक पर एकत्रित किए जाएंगे ।

2. प्रयोज्यता

(i) वीसीटीपीएल द्वारा अपने ग्राहकों या ग्राहकों के प्रतिनिधियों पर उसके परिसरों, निर्माणों या उपस्करों तथा प्रदत्त सेवाओं या सुविधाओं के उपयोग के लिए लगाए जाने वाली दरें निम्नलिखित खण्डों में वर्गीकृत की गई है :-

खंड 1 - कन्टेनर प्रचालन
खंड 2 - अन्य सेवाएं

(ii) आयात और निर्यात दरें तब लगेंगी जब :

(क) जब एक लदा हुआ या खाली कन्टेनर पोत से छोड़ा जाता है, रवाना किया जाता है और कन्टेनर यार्ड में रख दिया जाता ह और अन्ततोगत्वा बीसीटीपीएल के बाहर सौंपा जाता है या (ख) एक लदा हुआ या खाली कन्टेनर वीसीटीपीएल यार्ड में प्राप्त किया जाता है, रवाना किया जाता है और कन्टेनर यार्ड में रखा जाता है और अन्ततोगत्वा जहाज पर चढ़ाया जाता है ।

(iii) एक लदे हुए या खाली कन्टेनर पर पोतान्तरण कन्टेनर दरें "तब लगेंगी" जब इसे प्रथम वाहक से वीसीटीपीएल परिसर पर छोड़ा जाएगा और यह वीसीटीपीएल की अभिरक्षा में तब तक रहेगा जब तक इसे वीसीटीपीएल द्वारा एक नामित दूसरे वाहक पर इसकी मूल स्थिति में पोतान्तरित नहीं कर दिया जाता है ।

(iv) एक लदे हुए कन्टेनर पर पुन: निर्यात कन्टेनर दरें तब लगेंगी जब :

(क) इसे प्रथम वाहक से वीसीटीपीएल परिसर पर छोड़ा जाता है और वहां यह वीसीटीपीएल की अभिरक्षा में तब तक रहता है जब तक पुन: निर्यात नहीं कर दिया जाता ;

(ख) पहले वाहक से छोड़े जाने की क्रियापूर्ण होने के बाद 72 घंटे के भीतर पुन:निर्यात के लिए घोषित किया जाता है । और

(ग) वीसीटीपीएल को दूसरे वाहक के लंगर डालने से कम से कम 24 घण्टे पहले इसके पुन: निर्यात के बारे में सूचित किया जाता है । पुन:निर्यात कन्टेनर आयात निर्यात कंटेनर नौभरण दरों का भुगतान करेंगे किन्तु यदि वे उपरोक्त शर्तें पूरी करते है तो वे पोतान्तरण कन्टेनरों को लागू नि:शुल्क भण्डारण अवधि का लाभ उठा सकेंगे ।

जब कभी किसी कन्टेनर को ग्राहक के अनुरोध पर यार्ड में स्थानान्तरित किया जाएगा तब रिशफलिंग दरें लागू होंगी ।

खण्ड-1

1. कन्टेनर प्रचालन

1.1. आयात्त और निर्यात कन्टेनरों के लिए नौभरण प्रभार

		विदेश गामी पोत		तटीय पोत	
		20 फीट तक की लम्बाई वाला कन्टेनर	20 फीट से अधिक और 40 फीट तक की लम्बाई वाला कन्टेनर	20 फीट तक की लम्बाई वाला कन्टेनर	20 फीट से अधिक और 40 फीट तक की लम्बाई वाला कन्टेनर
(क)	क्वे क्रेन प्रभार -लदे हुए और खाली	15.75 अमरीकी डालर	23.63 अमरीकी डालर	रु. 756/-	रु. 1134/-
(ख)	क्वे से क.या. तक और व्युत्क्रम में लाना-ले जाना और उठाना / रखना - लदे हुए - खाली	रु. 945/- रु. 468/-	रु. 1418/- रु. 702/-	रु. 945/- रु. 468/-	रु. 1418/- रु. 702/-
(ग)	रेल यार्ड से / तक आईसीडी के कन्टेनरों को लाना -ले जाना और उठाना रखना - लदे हुए - खाली	रु. 1740/- रु. 870/-	रु. 2610/- रु. 1305/-	रु. 1740/- रु. 870/-	रु. 2610/- रु. 1305/-

नोट :-

(1) "विदेश आगमन " और "विदेश प्रस्थान " के मामलों में कन्टेनर्स का प्रभार डालरों में होगा ।

(2) "तटीय आगमन " और "तटीय प्रस्थान " के मामलों में कन्टेनर्स का प्रभार रुपये में होगा ।

(3) उपरोक्त मद सं. (क) के मामले में, सेवाओं में, क्वे क्रेन द्वारा प्रहस्तन और चढ़ाई उतराई भी सम्मिलित है ।

(4) उपरोक्त मद सं. (ख) के मामले में, सेवाओं में, क्वे साइड से और तक यातायात, भंडारण के लिए क.या. पर उठाना और व्युत्क्रम और ग्राहक के वाहन से / पर कन्टेनर को उतारना और चढ़ाना भी सम्मिलित है ।

(5) उपरोक्त मद सं. (ग) के मामले में, सेवाओं में, क्वे साइड तक और यातायात क.या. में भंडारण के लिए उठाना / रखना और रेल यार्ड तक यातायात और कन्टेनर को रेल गाड़ी पर लादना या व्युत्क्रम सम्मिलित है ।

(6) लदान के लिए स्वीकार किए जाने वाले पोत के लंगर डालने से कम से कम 6 घंटा पहले निर्यात कन्टेनर वीसीटीपीएल को सौंपने होंगे ।

1.2. पोतान्तरण कन्टेनरों के लिए नौभरण प्रभार

विदेश गामी पोत (अमरीकी डालरों में)		तटीय पोत (रुपयों में)	
20 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर	20 फीट से अधिक और 40 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर	20 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर	20 फीट से अधिक और 40 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर
17.10	25.65	821	1231

नोट :-

(1) सेवाओं में क्वे क्रेन द्वारा प्रहस्तन (उतारना और लादना) यातायात और पोत एवं यार्ड पर उठाना, व्यवस्थित रखने की योजना बनाना, डाटा प्रहस्तन, प्रसंस्करण और पोत, वीसीटीपीएल और नौवहन / लदान क्षेत्र के बीच स्थानान्तरण सम्मिलित है।

(2) वीसीटीपीएल के बाहर सड़क या रेल मार्ग द्वारा सौंपे गए किसी भी पोतान्तरण कन्टेनर आयात /निर्यात कन्टेनर दरें प्रभार्य होंगी।

(3) उपरोक्त प्रभार, लादने-उतारने के प्रभारों सहित, पहले वाहक से उतारने से दूसरे वाहक पर लदाई तक पोतान्तरण के पूरे चक्र पर लागू होते हैं।

(4) मद सं. 1.8 के अनुसार उस समय शट-आऊट प्रभार लागू होंगे :-

(i) यदि मूल रूप से नामित वाहक के लंगर डालने के बाद वाहक बदला जाता है।

(ii) यदि पहले वाले वाहक के लंगर डालने के बाद, बाद वाले वाहक से नामन पहले वाले वाहक के लिए बदला जाता है।

1.3. चढ़ाना या उतारना

		विदेश गामी पोत (रूपयों में)		तटीय पोत (रुपयों में)	
		20 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर	20 फीट से अधिक और 40 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर	20 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर	20 फीट से अधिक और 40 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर
(क)	लदे हुए	400/-	600/-	400/-	600/-
(ख)	खाली	200/-	300/-	200/-	300/-

1.4. एक प्रचालन के लिए हैच कवर प्रहस्तन (खोलना और बंद करना दोनों)

		विदेश गामी पोत (अमरीकी डालरों में)	तटीय पोत (रुपयों में)
(क)	क्वे पर हैच कवर रखने / उतारे बिना	12.60	605
(ख)	क्वे पर हैच कवर रखने / उतारने सहित	31.50	1512

नोट :-

(1) यदि केवल एक ही गतिविधि होगी तो अर्थात या खोलने या बंद करने वाले प्रचालनों में से कोई एक, आधी दर लागू होगी।

1.5. पोत के भीतर कन्टेनर्स का स्थानान्तरण (पुन: व्यवस्था)

		विदेश गामी पोत (अमरीकी डालरों में)		तटीय पोत (रुपयों में)	
		20 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर	20 फीट से अधिक और 40 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर	20 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर	20 फीट से अधिक और 40 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर
(क)	लदे हुए या खाली कन्टेनर, उतारने और पुन: नौभरण द्वारा स्थानांतरित	22.50	33.75	1080	1620
(ख)	लदे हुए या खाली कन्टेनर उतारने और पुन: नौभरण के बिना स्थानांतरित	7.65	11.48	367	551

नोट :-

(1) पुन: व्यवस्थित किए गए कन्टेनरों और उनमें भरे सामान पर कोई भी बंदर-भाड़ा नहीं लगेगा।

1.6. अतिरिक्त हलचल

		विदेश गामी पोत (रुपयों में)		तटीय पोत (रुपयों में)	
		20 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर	20 फीट से अधिक और 40 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर	20 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर	20 फीट से अधिक और 40 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर
(क)	लदे हुए और खाली	रु. 500	रु. 750/-	रु. 500/-	रु 750/-

नोट :-

(1) अतिरिक्त हलचल प्रभार तब लगता है जब ग्राहक के अनुरोध पर कन्टेनर को वीसीटीपीएल के भीतर ट्रेलर की मदद से हिलाने की आवश्यकता हो ।

1.7. रीफर से संबंधित और अन्य सामान्य सेवाएं

		विदेश गामी पोत (अमरीकी डालर में)	तटीय पोत (रुपयों में)
प्रति कन्टेनर			
(क)	दौरा पूर्व निरीक्षण (विद्युत की आपूर्ति सहित)	20.00	960/-
(ख)	विद्युत की आपूर्ति (कनैक्शन जोड़ने और कनक्शन हटाने, रीफर यार्ड में प्रबोधन सहित) प्रति 8 घण्टा या उसका भाग		
	- लम्बाई में 20 फीट से अधिक नहीं	4.95	238.00
	- लम्बाई में 20 फीट से अधिक	7.45	358.00

नोट :-

(1) सेवाओं में केवल प्लग लगाना / प्लग हटाना और तापमान का प्रबोधन करना ही सम्मिलित है। रीफर्स में यदि कोई खराबी आएगी तो उसका किसी प्रकार का अनुरक्षण नहीं किया जाएगा ।

(2) रीफर कन्टेनर का दौरा पूर्व निरीक्षण एक वैकल्पिक सेवा है और जब अनुरोध किया जाएगा तब प्रदान की जाएगी ।

(3) ये प्रभार पुन: व्यवस्थित रीफर कन्टेनरों पर लागू होंगे ।

1.8. शट-आऊट कन्टेनर के लिए प्रभार

(i) जहाँ कोई निर्यात कन्टेनर या पोतान्तरण कन्टेनर या पुन: निर्यात कन्टेनर शट-आऊट है और बाद में वीसीटीपीएल के बाहर सौंपा जाता है, वहां निम्नलिखित दरें लागू होंगी :-

		विदेश गामी पोत (अमरीकी डालरों में)		तटीय पोत (रुपयों में)	
		20 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर	20 फीट से अधिक और 40 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर	20 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर	20 फीट से अधिक और 40 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर
(क)	लदे हुए और खाली	17.10	25.65	821.00	1231.00

(ii) जहाँ कन्टेनर एक पोत द्वारा शट-आऊट हुआ है और बाद में, दूसरे पोत द्वारा नौभारित किया गया हो ; या

(क) मूल रूप से नामित वाहक द्वारा लंगर डालने के बाद वाहक बदल दिया गया हो ; या,

(ख) पहले वाहक द्वारा लंगर डालने के बाद नामन बाद वाले वाहक से बदल कर पहले वाले वाहक के प्रति कर दिया गया हो, .

नौभरण प्रभारों के अतिरिक्त ;

(क) उपरोक्त मद सं. (क) के अनुसार भी प्रभार लागू होंगे ।

(ख) कन्टेनर को मद सं. 1.11 के अनुसरण में, कन्टेनर के प्रथम बार ग्रहण करने के समय से, नि:शुल्क भण्डारण प्रदान किया जाएगा । यदि भण्डारण अवधि अधिक हो जाती है । भण्डारण भाड़ा नि:शुल्क अवधि की समाप्ति से उठाए जाने / लादे जाने के समय तक परिकलित किया जाएगा ।

1.9. बंदर - भाड़ा

		विदेश गामी पोत (अमरीकी डालरों में)		तटीय पोत (रुपयों में)	
		20 फीट तक की लम्बाई वाला कन्टेनर	20 फीट से अधिक और 40 फीट तक की लम्बाई वाला कन्टेनर	20 फीट तक की लम्बाई वाला कन्टेनर	20 फीट से अधिक और 40 फीट तक की लम्बाई वाला कन्टेनर
(क)	प्रति कन्टेनर	0.90 अमरीकी डालर	1.35 अमरीकी डालर	रु. 43/-	रु.65/-
(ख)	प्रत्येक कन्टेनर में लदे सामान पर	रु. 495/-	रु.743/-	रु. 495/-	रु. 743/-

नोट :-

(1) "विदेश आगमन" और "विदेश प्रस्थान" के मामलों में कन्टेनरों के प्रभार डालर में होंगे ।

(2) "तटीय आगमन" और "तटीय प्रस्थान" के मामलों में कन्टेनरों के प्रभार रुपयों में होंगे ।

(3) आईसीडी के, पोतान्तरण, एलसीएल और एफसीएल और खाली-सभी प्रकार के कन्टेनरों पर बंदर-भाड़ा लगेगा ।

1.10. अतिरिक्त प्रभार

		विदेश गामी पोत (अमरीकी डालरों में)		तटीय पोत (रुपयों में)	
		20 फीट तक की लम्बाई वाला कन्टेनर	20 फीट से अधिक और 40 फीट तक की लम्बाई वाला कन्टेनर	20 फीट तक की लम्बाई वाला कन्टेनर	20 फीट से अधिक और 40 फीट तक की लम्बाई वाला कन्टेनर
1.10	सीधा लदान -लदा हुआ और खाली	10.00 अमरीकी डालर	15.00 अमरीकी डालर	रु. 480/-	रु.720/-
1.11	रिशफलिंग -लदा हुआ और खाली	रु. 600/-	रु 900/-	रु. 600/-	रु. 900/-
1.12	ट्रक में लादना -लदा हुआ और खाली	रु. 500/-	रु. 750/-	रु. 500/-	रु.750/-
1.13	नौभरण स्थिति में परिवर्तन -लदा हुआ और खाली	रु. 675/-	रु. 1013/-	रु. 675/-	रु. 1013/-
1.14	कन्टेनर की स्थिति में परिवर्तन -प्रति कन्टेनर	रु. 100/-			
1.15	दस्तावेजों का निरस्तीकरण - प्रति ईआईआर	रु. 75/-			
1.16	एक द्वार खोलने का प्रभार प्रति कन्टेनर	रु. 500/-			

नोट : -

(1) सीधा लदान प्रभार तब लगता है जब ग्राहक के अनुरोध पर वीसीटीपीएल बंद होने के निर्धारित समय के बाद भी किसी निर्यात कन्टेनर को स्वीकार करता है । यह प्रभार सामान्य निर्यात चक्र में लगने वाले सभी प्रभारों के अतिरिक्त है ।

(2) रिशफलिंग प्रभार तब लगता है जब वीसीटीपीएल, ग्राहक के अनुरोध पर यार्ड में कन्टेनरों को रिशफल करता है ।

(3) ट्रक में लदान का प्रभार तब लगता है जब ग्राहक के अनुरोध पर, सामान्य कन्टेनर की स्थिति को आईसीडी कन्टेनर में बदला जाता है ।

(4) नौभरण स्थिति में परिवर्तन का प्रभार तब लागू होता है जब
- (i) वीसीटीपीएल परिसर में किसी पोतान्तरण कन्टेनर को एक आयात कन्टेनर के रूप में बदला जाता है ।
- (ii) वीसीटीपीएल परिसर में किसी आयात कन्टेनर को पुन: निर्यात किया जाता है ।
- (iii) किसी निर्यात कन्टेनर को वीसीटीपीएल परिसर से बाहर सौंपा जाता है ।
- (iv) एक पोतान्तरण कन्टेनर को मूल रूप से नामित वाहक के लंगर डालने से 8 घंटे से भी अधिक समय पूर्व एक अन्य दूसरे वाहक के लिए या पुन: नामित वाहक के लिए, इसमें से जो भी पहले हो, नामित कर दिया जाता है या

(5) कन्टेनर स्थिति में परिवर्तन का प्रभार तब प्रत्येक बार लगता है जब किसी आयात और निर्यात कन्टेनर का विवरण, वीसीटीपीएल द्वारा कार्रवाई किए जाने के बाद बदला जाता है ।

(6) निरस्तीकरण प्रभार तब लगता है जब ग्राहक के अनुरोध पर ईआईआर को निरस्त किया जाता है ।

(7) "एक द्वार खोलना" प्रभार उस कन्टेनर के प्रहस्तन के लिए प्रभार्य होता है जिसके लिए केवल एक द्वार खुला रखने की आवश्यकता होती है (जैसे, प्याज) और जब द्वार खोलना और सुर[illegible]टर्मिनल द्वारा सम्पन्न किए जाते हैं ।

1.11. कन्टेनरों के भण्डारण के लिए प्रभार

(क) आयात-लदे कन्टेनर्स

		विदेश गामी पोत (प्रति दिन अमरीकी डालरों में)		तटीय पोत (प्रति दिन रुपयों में)	
		20 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर	20 फीट से अधिक और 40 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर	20 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर	20 फीट से अधिक और 40 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर
(i)	पहले पाँच दिन	नि:शुल्क	नि:शुल्क	नि:शुल्क	नि:शुल्क
(ii)	6 टे दिन से 15 वें दिन	2.25	4.50	108	216
(iii)	16 वें दिन से 30 वें दिन	4.50	9.00	216	432
(iv)	30 दिन से आगे	9.00	18.00	432	864

(ख) निर्यात लदे कन्टेनर

		विदेश गामी पोत (प्रति दिन अमरीकी डालरों में)		तटीय पोत (प्रति दिन रुपयों में)	
		20 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर	20 फीट से अधिक और 40 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर	20 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर	20 फीट से अधिक और 40 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर
(i)	पहले 12 दिन	नि:शुल्क	नि:शुल्क	नि:शुल्क	नि:शुल्क
(ii)	13वें दिन से 20 वें दिन	2.25	4.50	108	216
(iii)	21 वें दिन से 30 वें दिन	4.50	9.00	216	432
(iv)	30 दिन से आगे	9.00	18.00	432	864

(ग) खाली कन्टेनर्स - आयात

		विदेश गामी पोत (प्रति दिन अमरीकी डालरों में)		तटीय पोत (प्रति दिन रुपयों में)	
		20 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर	20 फीट से अधिक और 40 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर	20 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर	20 फीट से अधिक और 40 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर
(i)	पहले 12 दिन	नि:शुल्क	नि:शुल्क	नि:शुल्क	नि:शुल्क
(ii)	13वें दिन से 20 वें दिन	2.25	4.50	108	216
(iii)	21 वें दिन से 30 वें दिन	4.50	9.00	216	432
(iv)	30 दिन से आगे	9.00	18.00	432	864

(घ) खाली कन्टेनर्स - निर्यात

		विदेश गामी पोत (प्रति दिन अमरीकी डालरों में)		तटीय पोत (प्रति दिन रुपयों में)	
		20 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर	20 फीट से अधिक और 40 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर	20 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर	20 फीट से अधिक और 40 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर
(i)	पहले 7 दिन	नि:शुल्क	नि:शुल्क	नि:शुल्क	नि:शुल्क
(ii)	8 वें दिन से 15 वें दिन	2.25	4.50	108	216
(iii)	16 वें दिन से 30 वें दिन	4.50	9.00	216	432
(iv)	30 दिन से आगे	9.00	18.00	432	864

ङ.) आईसीडी कन्टेनर्स - लदे हुए और खाली

		विदेश गामी पोत (प्रति दिन अमरीकी डालरों में)		तटीय पोत (प्रति दिन रुपयों में)	
		20 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर	20 फीट से अधिक और 40 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर	20 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर	20 फीट से अधिक और 40 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर
(i)	पहले 15 दिन	नि:शुल्क	नि:शुल्क	नि:शुल्क	नि:शुल्क
(ii)	16 वें दिन से 30 वें दिन	2.25	4.50	108	216
(iii)	31 वें दिन से 45 वें दिन	4.50	9.00	216	432
(iv)	45 वें दिन से आगे	9.00	18.00	432	864

(च) पोतान्तरण / पुनः निर्यात-लदे हुए और खाली कन्टेनर्स

		विदेश गामी पोत (प्रति दिन अमरीकी डालरों में)		तटीय पोत (प्रति दिन रुपयों में)	
		20 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर	20 फीट से अधिक और 40 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर	20 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर	20 फीट से अधिक और 40 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर
(i)	पहले 30 दिन	नि:शुल्क	नि:शुल्क	नि:शुल्क	नि:शुल्क
(ii)	31 वें दिन से 45 वें दिन	2.25	4.50	108	216
(iii)	46 वें दिन से 60 वें दिन	4.50	9.00	216	432
(iv)	60 वें दिन से आगे	9.00	18.00	432	864

नोट :-

(1) कन्टेनर की भण्डारण अवधि उतरने के दिन से अगले दिन से आरम्भ होकर लदाई /सुपुर्दगी /कन्टेनर के हटाए जाने के दिन तक गिनी जाएगी ।

(2) नि:शुल्क समय की गणना के उद्देश्य से रविवार के दिन, सीमा शुल्क अधिसूचित दिन और टर्मिनल के प्रचालन-रहित दिनों को गिना नहीं जाएगा ।

(3) उन पोतान्तरण कन्टेनरों को, बाद में जिनकी स्थिति स्थानीय या आईसीडी कन्टेनर में बदल जाएगी, रियायती भण्डारण प्रभारों को छोड़ना पड़ेगा । ऐसे कन्टेनरों के भण्डारण-प्रभार आयात कन्टेनर भण्डारण प्रशुल्क के समान वसूले जाएंगे ।

(4) शट-आऊट कन्टेनरों के लिए कुछ भण्डारण अवधि उस दिन के बाद वाले दिन से, जिस दिन कन्टेनर शट आऊट हो जाएगा, उस दिन तक गिनी जाएगी जिस दिन कन्टेनर पोत पर लद जाएगा / सौंप दिया जाएगा ।

(5) परित्यक्त कन्टेनरों /शिप्पर्स ओन्ड कन्टेनरों पर भण्डारण प्रभार, निम्नलिखित शर्तों के अधीन, उस तिथि तक जिस तिथि को लिखित में परित्याग की सूचना मिलेगी या कन्टेनर के उतारे जाने के बाद 45 दिन तक इनमें से जो भी पहले हो लगाया जाएगा ।

(i) परेषिती परित्याग का पत्र कभी भी जारी कर सकता है ।

(ii) यदि परेषिती परित्याग का इस प्रकार का पत्र जारी नहीं करना चाहता है तो निम्नलिखित शर्तों के अधीन, कन्टेनर एजेन्ट / एमएलओ भी परित्याग पत्र जारी कर सकते हैं :

(क) लाइन सामान के साथ कन्टेनर की अभिरक्षा ग्रहण करेगी और या तो इसे वापस लेगी या उसे पत्तन - परिसर से हटाएगी ; और

(ख) कन्टेनर की अभिरक्षा ग्रहण करने से पहले लाइन कार्गो और कन्टेनर पर इकट्ठा हुए सभी पत्तन प्रभारों का भुगतान करेगी।

(iii) कन्टेनर एजेंट /एमएलओ सभी आवश्यक औपचारिकताएं निभाएंगे और उसके परिवहन और रिक्तीकरण का व्यय वहन करेंगे । यदि वे निर्धारित अवधि में इस प्रकार की कार्रवाई करने में असफल रहते हैं तो कन्टेनर पर भण्डारण प्रभार उस समय तक लगता रहेगा जब तक शिपिंग लाइन द्वारा कार्गो को खाली करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाइयां नहीं कर ली जातीं ।

(iv) यदि कन्टेनर सीमा शुल्क प्राधिकारियों के कब्जे में हे या उन्होंने जब्त कर लिया है और उसे 75 दिन की निर्धारित समय सीमा में खाली नहीं किया जा सकता तो भण्डारण प्रभार उस दिन लगना रूक जाएगा जिस दिन सीमा शुल्क प्राधिकारी कार्गो मुक्ति का आदेश जारी कर देंगे बशर्ते लाइन्स आवश्यक औपचारिकताएं निभाती रहें और परिवहन तथा रिक्तीकरण का व्यय भी वहन करें । अन्यथा, कब्जे में लिए गए /जब्त किए गए कन्टेनरों को, लाइन्स / परेषिती द्वारा, पत्तन परिसर से

सीमा शुल्क बंधन क्षेत्र में हटवाना चाहिए और उस मामले में भण्डारण प्रभार उस दिन से लगना बंद हो जाएगा जिस दिन कन्टेनर हट जाएगा ।

1.12. कचरा हटवाने के लिए प्रभार

पोत के बोर्ड पर जमा हुए कचरे को हटवाने के लिए ट्रक के प्रति फेरे की दर से रु. 3500/- समेकित प्रभार देय होगा ।

1.13. ताजे जल की आपूर्ति के लिए प्रभार

विदेशगामी पोतों के लिए ताजे पानी की आपूर्ति के लिए 3.241 अम.डालर प्रति 1000 लिटर या उसका भाग की दर से न्यूनतम प्रभार 16.205 अम. डालर लिया जाएगा ।

तटीय पोतों के लिए ताजे पानी की आपूर्ति हेतु रु. 108.90 प्रति 1000 लिटर या उसका भाग की दर से न्यूनतम प्रभार रु. 544.50 लिया जाएगा ।

1.14. छूट

जब वीसीटीपीएल के उपकरण खराब हों या किसी अन्य उपयोगकर्त्ता द्वारा किराए पर लिए होने के कारण या किसी अन्य कारण से उपलब्ध न हों तब पोत के गियर उपयोग करते हुए कन्टेनरों की लदाई / उतराई के प्रचालन को जारी रखने के लिए बीसीटीपीएल की पूर्वानुमति से निम्नानुसार छूट लागू होगी :

क्र. सं.	विवरण	विदेश गामी पोत (प्रति कन्टेनर अमरीकी डालर में)		तटीय पोत (प्रति कन्टेनर रुपये में)	
		20 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर	20 फीट से अधिक और 40 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर	20 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर	20 फीट से अधिक और 40 फीट तक की लम्बाई वाले कन्टेनर
1.	यदि पोत से तट पर या व्युत्क्रम में लदाई / उतराई के लिए पोत के गियर्स उपयोग किए गए हैं ।	6.00	9.00	288	432

1. शहर वापिस आने वाले, निजी उपकरणों द्वारा प्रहस्तित उपकरणों के लिए कोई छूट ग्राह्य नहीं होगी ।

खण्ड -II

2. अन्य सेवाएं

2.1 आगन्तुक प्रवेश पत्र

		वार्षिक	मासिक	दैनिक
(क)	प्रति आवेदन	रु. 200/-	रु. 50/-	रु. 20/-
(ख)	प्रति प्रतिस्थापना	रु. 50/-	रु. 50/-	रु. 20/-

2.2 वाहन प्रवेश पत्र

प्रति प्रवेश रु. 75/-

2.3 फोटोग्राफी

(क)	फिल्म की शूटिंग और फोटोग्राफी	रु. 8500/- प्रति दिन
(ख)	आयातीत / निर्यातीत सामान के फोटोग्राफ लेने के लिए	रु. 425/- प्रति दिन
(ग)	बेड़ों और अन्यों के फोटोग्राफ लेने के लिए	रु. 215/- प्रति दिन
(घ)	वीडियोग्राफी (प्रचालनीय गतिविधियों से संबंधित)	रु. 2550/- प्रति दिन